सड़कछाप गुंडे बिट्टू बजरंगी को जेड प्लस सुरक्षा की जरूरत

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) ब्रज मंडल यात्रा की आड़ में नूंह में हथियारबंद गुंडावाहिनी लेकर पहुंचने, पुलिस से हाथापाई करने और पुलिस कस्टडी से हथियार लूट कर भागने के आरोपी के दंगाई बिट्टू बजरंगी को आईएसआई से जान का खतरा बताया जा रहा है। बजरंगी के वकील एलएन पाराशर ने यह दावा करते हुए कहा कि वह अपने मुवक्किल को सुरक्षा मुहैया कराने की याचिका हाईकोर्ट में डालेंगे।

अगर ऐसा है तो यह भारत की खुफिया एजेंसियों की बड़ी विफलता है कि उन्हें यह जानकारी नहीं हो सकी कि बिट्टू की जान को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से खतरा है। हो सकता है कि आईएसआई के डायरेक्टर ने सीधे ही बिट्टू के वकील को यह संदेश भेजा हो, तभी तो उन्होंने मीडिया में यह दावा किया है। आईएसआई जैसी खतरनाक संस्था की नजर में आने के कारण बिट्टू को कम से कम जेड प्लस सुरक्षा तो दी ही जानी चाहिए, क्योंकि यदि उसे कुछ हो गया तो देश का भारी नुकसान हो सकता है। वैसे भी नूंह दंगे भड़का कर बिट्टू ने देश और समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया है, उसके न रहने पर यह अधूरा काम कौन पूरा कर पाएगा।

सवाल यह उठता है कि आईएसआई से बिट्टू को खतरा क्यों होगा, जबकि वह तो आईएसआई के एजेंडे को ही भारत में आगे बढ़ा रहा है। आईएसआई भी तो दंगे भड़का कर भारत को अस्थिर करना चाहती है। बिट्टू तो नूंह हिंसा से पहले भी गोरक्षा, हिंदू अस्मिता की रक्षा के नाम पर अपने हथियारबंद चेलों के साथ कई जगह दंगे भड़का चुका है। मालेगांव ब्लास्ट की गहन रिपोर्टिंग करने वाले वरिष्ठ पत्रकार निरंजन टाकले के अनुसार ब्लास्ट की जांच कर रही एटीएस की तफ्तीश में सामने आया था कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के आला स्तर के पदाधिकारियों को भी आईएसआई ने 24 करोड़ रुपये दिए थे।

जाहिर है कि पाकिस्तान की एजेंसी ने आरएसएस को यह धन भारत में दंगे और अशांति फैला कर देश को अस्थिर करने के लिए ही दिया होगा। जब आईएसआई आरएसएस प्रमुख को दंगे भड़काने के लिए खरीद सकती है तो वह इस संगठन के बिट्टू बजरंगी जैसे छुटभैये और अंधानुकरण करने वाले पिछलग्गुओं पर नजर भी नहीं डालेगी क्योंकि उसे जो कराना है वह रुपये फेंक कर बड़े पदाधिकारियों से करवा लेगी।

भाजपा सरकार विकास व रोजगार के नाम पर कर रही है झूठी घोषणाएं : सुमिता सिंह

पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 सितंबर को करनाल में आयोजित जनमिलन कार्यक्रम में पहुंचने की अपील

करनाल। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 सितम्बर को जन मिलन कार्यक्रम में जनता से संवाद करेंगे। एसबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल रेलवे रोड में होने वाले कार्यक्रम में उनके साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदयभान व राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा भी होंगे।

कार्यक्रम की तैयारियों में जुटी पूर्व करनाल विधायक सुमिता सिंह बृहस्पतिवार को सेक्टर 8 के लोगों को कार्यक्रम का न्यौता देने पहुंचीं। उन्होंने लोगों से जन मिलन कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की। बताया कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा शाम चार बजे एसबीएस स्कूल में जनता से मिलेंगे और उनकी शिकायत व समस्याओं को सुनेंगे। कोई भी व्यक्ति जन मिलन कार्यक्रम में शामिल होकर अपनी बात रख सकता है। चुने गए जनमुद्दों को कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा।

किशन कुमार के आवास पर हुई छोटी सी जनसभा में लोगों ने सुमिता सिंह का फूल माला से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार की नाकामियों पर जमकर हमला करते हुए कहा कि प्रदेश में अपराध दो गुना, बेरोजगारी तीन गुना, महंगाई चार गुना बढ़ चकी है जबकि खट्टर सरकार कांग्रेस सरकार की तुलना में पांच गुना अधिक कर्ज ले चुकी है। सरकार ने हरियाणा युवाओं की नौकरी पाने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। पहले हरियाणवी युवाओं को अग्निवीर लाकर भर्ती से रोका गया अब सीईटी पर 4 गुना की कैप लगाकर, इस तरह खट्टर सरकार ने लाखों युवाओं की नौकरी पाने की उम्मीद छीन ली है। 3,59,146 युवाओं ने सीईटी पास किया लेकिन सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया।

भाजपा सरकार हर मोर्चे पर फेल है चारों तरफ त्राहि-त्राहि मची है जनता आज कांग्रेस की तरफ देख रही है। कांग्रेस ने जो बनाया था भाजपा निजीकरण के नाम पर गवाने में लगी है। खट्टर सरकार जनता को दोनों हाथ से लूट रही है। आने वाला समय कांग्रेस का है कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलती है। इसलिए सभी मिलकर लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस का साथ दें। इस अवसर पर कृष्ण कुमार, कुलदीप सिंह, दलेल सिंह, त्रिखा जी, मोहनलाल मुंजाल, रामकुमार, अंशुल लाठर, बिन्नी, कृष्ण लाल, दयावंती, आरती गुप्ता, सिमरन आदि मौजूद थे।

विवाहिता को ब्लैकमेल करने का आरोपी गिरफ्तार

करनाल। विवाहिता को उसकी अश्लील फोटो-वीडियो वायरल कर लाखों रुपये ऐंठने का आरोपी युवक पीड़िता के घर जा धमका। पीड़िता के परिजनों ने उसे पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़िता की तहरीर पर आरोपी दयानंद निवासी बवानी हिसार के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस तफ्तीश में जुटी है।

जिले के सालवान चौकी क्षेत्र में रहने वाली पीड़ित महिला के अनुसार परिवार वालों ने उसकी शादी तय कर दी थी। बारात आने के बीस दिन पहले दयानंद ने पीड़िता की कुछ फोटो एडिट कर उसे मैसेज कीं और शादी तोड़ कर उससे विवाह करने का दबाव बनाया। पीड़िता ने परिवार की इज्जत का वास्ता दिया तो दयानंद ने उस पर दो लाख रुपये और एक वीडियो बनाकर भेजने का दबाव बनाया। मजबूर पीड़िता ने वीडियो और रुपये भेज दिए। आरोपी ने यह शर्त भी रखी कि पीड़िता पर उससे लगातार बात करती रहेगी।

शादी होने के बाद दयानंद पीड़िता से उसका मंगलसूत्र, कानों की बालियां और डेढ़ लाख रुपये मांगने लगा। यहां तक कि वह पीड़िता पर अपने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराने और तलाक लेकर उसके साथ रहने का दबाव बनाने लगा। पीड़िता ने इनकार किया तो उसकी अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने और बच्चे व पति को जान से मारने की धमकी दे डाली। पीड़िता ने बात करना और मैसेज देखना बंद कर दिया तो 6 सितंबर को दयानंद उसके फफड़ाना स्थित घर जा धमका और पीड़िता को परेशान करने लगा। यह देख पीड़िता के परिजनों ने आरोपी को पकड़ लिया और 112 पर कॉल कर पुलिस बुला ली। पुलिस चौकी सलवान के एएसआई जरनैल सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पीड़िता की शिकायत सुनने के बाद दयानंद को हिरासत में लेकर चौकी लाए। जांच में सामने आया कि आरोपी महिला को बीते कई वर्ष से ब्लैकमेल कर उससे रुपये हड़प रहा था। असंध थाने में ब्लैकमेल कर रुपये हड़पने, जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। असंध पुलिस के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है।

शिकायत न होती तो लग जातीं पुरानी इंटरलॉकिंग टाइलें

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) एक साल विलंब के बाद बनाई जा रही हार्डवेयर-प्याली चौक सड़क के फुटपाथ पर ठेकेदार पुरानी इंटरलॉकिंग टाइलें लगा रहा था लेकिन निगम अधिकारियों ने उसे देखने की जहमत नहीं की। सामाजिक कार्यकर्ता वरुण श्योकंद ने ठेकेदार की इस करतूत को सोशल मीडिया पर वायरल किया तब कहीं जाकर निगम अधिकारियों को शर्म आई और मौके पर जाकर पुरानी इंटरलॉकिंग टाइलें हटवाने को कहा। यदि एक जागरूक नागरिक शिकायत नहीं करता तो निगम अधिकारियों को मोटी मलाई खिलाने वाला ठेकेदार पुरानी लगाकर नए के दाम वसूल भी लेता।

लूट-कमाई में माहिर निगम के अधिकारी मिलीभगत करने वाले ठेकेदार पर इतने मेहरबान हैं कि कोई कार्रवाई करने के बजाय सिर्फ ये आदेश दे दिया कि नई टाइलें लगाओ। मौके पर पहुंचे एक्सईएन ओपी कर्दम को करना तो यह चाहिए था कि पुरानी इंटरलॉकिंग टाइल का सैंपल भरवा कर जांच को भेजते और ठेकेदार को नोटिस जारी करते। यह सब करना तो छोड़िए उन्होंने ठेकेदार से यह पूछने की भी जहमत नहीं की कि वह यह पुरानी इंटरलॉकिंग टाइलें कहां से लेकर आया है। जाहिर है कि ये पुरानी टाइलें किसी सड़क या गली के फुटपाथ से उखाड़ी गई हैं।

बताते चलें कि वर्तमान में बल्लभगढ़ इलाके में इंटरलॉकिंग सड़कों को आरएमसी सड़कों में तब्दील किया जा रहा है। इन सड़कों से निकलने वाली इंटरलॉकिंग को मलबा दिखा कर सस्ते दाम में ठेकेदार को बेच दिया जाता है। इसके बाद ठेकेदार इन्हीं टाइलों को नई जगह पर नया दिखा कर लगा देता है।

हार्डवेयर-प्याली चौक के फुटपाथ पर लगाए जाने के लिए ट्रको में भर कर लाई जा रही पुरानी इंटरलॉकिंग टाइलें भी कहीं से उखाड़ी गई होंगी। निगम के अधिकारियों से मिलीभगत के बिना कोई भी ठेकेदार पुरानी इंटरलॉकिंग टाइलें लगाने की हिम्मत नहीं कर सकता, सारा खेल कमीशन के आधार पर होता है। यहां शिकायत हो गई तो नई इंटरलॉकिंग टाइलें लगाने के आदेश दे दिए गए वरना पुरानी टाइलें ही बिछ जातीं और ठेकेदार व अधिकारियों के बीच नई इंटरलॉकिंग के धन की बंदरबांट हो जाती। ऐसा नहीं है कि ये टाइलें कहीं और नहीं लगेंगी, इन्हें फिर कहीं लगाया जाएगा जहां कोई पकड़ नहीं पाएगा।

डलसा सचिव ने लिव इन रिलेशन में रहने वालों को बताए उनके अधिकार

करनाल। मुख्य दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण डलसा जसबीर कौर ने बृहस्पतिवार को पुलिस लाइन स्थित सेफ हाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां रह रहे लिव इन रिलेशन वाले जोड़ों को उनके संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की जानकारी दी।

निरीक्षण के दौरान उन्हें बताया गया कि सेफ हाउस में भाग कर शादी करने वाले या लिव इन रिलेशन वाले सात जोड़े रह रहे हैं। उन्होंने इन जोड़ों से व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को उनका समाधान कराने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने जोड़ों को जानकारी दी कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार सभी नागरिकों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता हासिल है। राज्य सभी नागरिकों को यह मूल अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

यदि किसी जोड़े को जांच अधिकारियों के समक्ष बयान दर्ज करने के दौरान कोई समस्या आ रही है तो वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सलाह ले सकता है। बताया गया कि सेफ हाउस में रहने वाले जोड़ों से भोजन की लागत ली जाती है। जोड़ों ने सुरक्षा के प्रति आश्वस्ति जताई। सेफ हाउस के इंचार्ज को परिसर को साफ-सुथरा रखने के निर्देश दिए गए।

सचिव डलसा जसबीर कौर ने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में सेफ हाउस का दौरा किया गया, इसका उद्देश्य जिला स्तर पर ऐसे जोड़ों द्वारा सामना की जाने वाली शिकायतों को दूर करना था, ताकि उन्हें मदद के लिए उच्च न्यायालय जाने के लिए मजबूर न होना पड़े।